

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी
वाद संख्या

:- श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
:- 141/2019

शीर्षक

नवल किशोर पुत्र चौथमल जाति पुरोहित नि. ग्राम मनोहरपुर तह. शाहपुरा जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. अमित पुत्र रामप्रकाश जाति पुरोहित नि. मनोहरपुर तह. शाहपुरा जिला जयपुर।
2. कमला पुत्र चौथमल पत्नि श्यामसुन्दर नि. मनोहरपुर तह. शाहपुरा हाल नि. जयलाल मुन्शी का रास्ता, परिवार नियंत्रण होस्पिटल के सामने, पुरानी बस्ती, जयपुर।
3. गोपाल पुत्र बन्नालाल पुरोहित नि. मीणों का नौहल्ला, वार्ड 3 आमेर, जिला जयपुर।
4. गोपी पुत्र सेडूराम जाति पुरोहित नि. मनोहरपुर तह. शाहपुरा जिला जयपुर।
5. झूठी पत्नी जगदीश जाति गुर्जर नि. आमलियो का बास मनोहरपुर तह. शाहपुरा जिला जयपुर।
6. प्रेमप्रकाश पुत्र मामराज उर्फ मुरलीधर जाति पुरोहित नि. मनोहरपुर तह. शाहपुरा जिला जयपुर।
7. प्रेमलता पत्नी रामप्रकाश जाति पुरोहित नि. मनोहरपुर तह. शाहपुरा जिला जयपुर।
8. किरण पत्नी बजरंग जाति पुरोहित नि. मनोहरपुर तह. शाहपुरा हाल नि. गोविन्ददास का रास्ता, बावारियो का बड़, पुरानी बस्ती, जयपुर।
9. अमित पुत्र बजरंग जाति पुरोहित नि. मनोहरपुर तह. शाहपुरा हाल नि. गोविन्ददास का रास्ता, बावारियो का बड़, पुरानी बस्ती, जयपुर।
10. बुद्धि प्रकाश पुत्र मामराज उर्फ मुरलीधर जाति पुरोहित नि. मनोहरपुर तह. शाहपुरा जिला जयपुर।
11. मंजू देवी पुत्री मामराज उर्फ मुरलीधर जाति पुरोहित नि. मनोहरपुर तह. शाहपुरा जिला जयपुर।
12. महेन्द्र पुत्र चौथमल जाति पुरोहित नि. ग्राम मनोहरपुर तह. शाहपुरा जिला जयपुर।
13. मानप्रकाश पुत्र मामराज उर्फ मुरलीधर जाति पुरोहित नि. मनोहरपुर तह. शाहपुरा जिला जयपुर।
14. रक्षा पुत्री रामप्रकाश जाति पुरोहित नि. मनोहरपुर तह. शाहपुरा जिला जयपुर।
15. विनोद पुत्र चौथमल जाति पुरोहित नि. ग्राम मनोहरपुर तह. शाहपुरा जिला जयपुर।
16. सुमित पुत्र रामप्रकाश जाति पुरोहित नि. मनोहरपुर तह. शाहपुरा जिला जयपुर।
17. सुरजी पत्नी नानगराम जाति गुर्जर नि. मनोहरपुर तह. शाहपुरा जिला जयपुर।
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा तहसील-शाहपुरा, जिला जयपुर।
19. पटवारी पटवार हल्का मनोहरपुर तह. शाहपुरा जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 5/10/2021

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी खाता सं. 109 के ख.नं. 5276/0.36, 5277/0.07, 5278/1/0.03, 5279/0.08, 5280/1/0.04 5281/0.60 हैं कुल कित्ता 6 रकबा 1.18 है 0 वाके ग्राम मनोहरपुर तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 लगा 17 की सामलाती भूमि है तथा आराजी का राजस्व रिकार्ड में वादी का हि. 1/20, प्रतिवादी सं. 1 का हि. 1/576, प्रतिवादी सं. 2 का हि. 1/20, प्रतिवादी सं. 3 का हि. 1/8, प्रतिवादी सं. 4 का हि. 1/4, प्रतिवादी सं. 5 का हि. 1/8, प्रतिवादी सं. 6 का हि. 1/192, प्रतिवादी सं. 7 का हि. 1/576, प्रतिवादी सं. 8 व 9 का हि. 1/20, प्रतिवादी सं. 10 का हि. 1/12, प्रतिवादी सं. 13 का हि. 1/144, प्रतिवादी सं. 14 का हि. 1/576, प्रतिवादी सं. 15 का हि. 1/20, प्रतिवादी सं. 16 का हि. 1/576, प्रतिवादी सं. 17 का हि. 1/8 हिस्सा दर्ज हाल है तथा वादी व प्रतिवादीगण का बिज होकर अपने अपने हिस्से का उपयोग उपभोग कर रहे हैं। राजस्व रिकार्ड में दर्ज कौशल्या पुत्री चौथमल, बजरंग पुत्र चौथमल फौत हो चुके हैं उनके स्थान पर प्रतिवादी सं. 8 व 9 को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। वर्णित आराजीयात का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य मनबट के आधार पर पूर्व में बंटवारा हो चुका है तथा सभी खातेदारी वादी एवं प्रतिवादीगण राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने अपने हिस्से अनुसार का बिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं लेकिन कुछ समय से प्रतिवादीगण के मन में बदनियति उत्पन्न हो गयी है जिसके चलते वे आये दिन वादी से विवाद करते रहते हैं वादी ने मनबट के आधार पर आई अपने हिस्से के समतलीकरण करवा करवा कर कृषि योग्य बना रखा है तथा उसमें काफी समय एवं पैसा खर्च किया है प्रतिवादीगण के मन में बदनियति के चलते वे उक्त आराजी के विशिष्ट भू-भाग पर कब्जा करके बेचान करना चाहते हैं जिसके कारण सामिल में रहकर काशत करना संभव नहीं है।



सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला जयपुर) राज.

दिनांक 30.10.2019 को प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर अन्य दीगर व्यक्तियों को साथ लेकर आये तथा नाप जोख करने लगे जिस पर वादी द्वारा कारण पुछने पर वे वादी के साथ झगड़ा करने लगे तथा वादी को एलनियां धमकी दी कि हमारे नाम का फायदा उठाकर उक्त आराजी के विशिष्ट भूभाग को बेचकर कब्जा करवायेगे, हम पूर्व बंटवारे को नहीं मानेगे जिसके कारण उक्त आराजी का बंटवारा मौके पर काबिजानुसार एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सानुसार करवाया जाना अति आवश्यक हो गया है जिसके कारण वाद पेश करना आवश्यक हुआ। यदि प्रतिवादीगण अपने उपरोक्त अवैध मन्सूबों में किसी कदर भी कामयाब हो गये तथा बिना कानूनी बंटवारा के वाद अधिन मुतवादिया का अन्तरण कर दिया या विशिष्ट भूभाग पर स्वयं कब्जा कर लिया अन्यथा में वादी को बेदखल कर दिया वादी नाकाबिले हानि होगी तथा वादी के विधिक अधिकारों को महरूम होना पड़ेगा यानी वादी को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से धनराशि के रूप में नहीं की जा सकेगी तथा पक्षकारों में अनावश्यक मुकदमें बाजी बढेगी इस कारण वादी को यह वाद पत्र प्रतिवादीगण के विरुद्ध आराजी का बंटवारा कराने व उन्हें स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ।

अन्त में निवेदन किया कि उक्त आराजी का नियमानुसार बंटवारा कर वादीया/प्रतिवादी सं. 1 के मध्य पूर्व में हुए कब्जे काश्त के अनुसार व राजस्व रिकार्ड के अनुसार बाई मीट्स एन बाउण्ड (सरस नरस) के आधार पर राजस्व बोर्ड के नियमों अनुसार बंटवारा किया जाकर उसका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ताकि वे वादी के बंटवारे में आयी भूमि के कब्जे काश्त व उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार की बाधाकारित ना करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गए। दिनांक 22.07.2020 को प्रतिवादीगण संख्या 3 लगा. 7 और 9 लगा. 19 बाद तामील उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। पूर्व में प्रतिवादी सं. 1, 2 व 8 ने उपस्थित होकर बंटवारे हेतु सहमति दी। दिनांक 22.07.2020 को प्रकरण में प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से बंटवारा रिपोर्ट हेतु लिखा गया।

दिनांक 10.03.2021 को प्रकरण में बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। वकील उभयपक्ष में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया है। कि आ.ख. नं. 5276/0.36, 5277/0.07, 5278/1/0.03, 5279/0.08, 5280/1/0.04 5281/0.60 है0 कुल किता 6 रकबा 1.18 है0 वाके ग्राम मनोहरपुर तह0 शाहपुरा जिला जयपुर के खातेदारान के मध्य बंटवारा कर पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है -

1. नवलकिशोर पुत्र चोथमल का हिस्सा 1/5, विनोद पुत्र चोथमल का हिस्सा 1/5, महेन्द्र पुत्र चोथमल का हिस्सा 1/5, बजरंग पुत्र चोथमल का हिस्सा 1/5, कमला पुत्री चोथमल का हिस्सा 1/5, का हिस्सा आ.ख.न. 5281/रकबा 0.2779 है0 भूमि रहेगी।
2. गोपीलाल पुत्र सेडूराम जाति पुरोहित सा0 देह खातेदार आ.ख.न. 5281/2 रकबा 0.2537 व 5276/1 रकबा 0.0242 कुल किता 2 रकबा 0.2779 है0 भूमि रहेगी।
3. अमित पुत्र रामप्रकाश हिस्सा 2579/685152, प्रेमलता पत्नी रामप्रकाश हिस्सा 2579/685152, रक्षा पुत्री रामप्रकाश हिस्सा 2579/685152, सुमित पुत्र रामप्रकाश हिस्सा 2579/685152, बुद्धिप्रकाश पुत्र मामराज उर्फ मुरलीधर हिस्सा 33527/171288, मानप्रकाश पुत्र मामराज उर्फ मुरलीधर हिस्सा 2579/171288, प्रेमप्रकाश पुत्र मामराज उर्फ मुरलीधर हिस्सा 2579/171288, कौशलयादेवी पत्नी मामराज उर्फ मुरलीधर हिस्सा 2579/171288, मोना देवी पारीक पत्नी बुद्धिप्रकाश हिस्सा 2579/9516, मंजु देवी पुत्री मामराज उर्फ मुरलीधर हिस्सा 2579/ 171288, झूठी देवी पत्नी जगदीश प्रसाद हिस्सा 2179/2516, सुरजी देवी पत्नी नानगराम हिस्सा 2179/2516 आ.ख.न. 5276/2 रकबा 0.335, 5277 रकबा 0.07, आ.ख.न. 5278/1 रकबा 0.03, आ.ख.न. 5280/1 रकबा 0.04, कुल किता 4 रकबा 0.475 है0 भूमि रहेगी।
4. अमित पुत्र रामप्रकाश हिस्सा 1/576, प्रेमलता पत्नी रामप्रकाश हिस्सा 1/576, रक्षा पुत्री रामप्रकाश हिस्सा 1/576, सुमित पुत्र रामप्रकाश हिस्सा 1/576, बुद्धिप्रकाश पुत्र मामराज उर्फ मुरलीधर हिस्सा 13/144, मानप्रकाश पुत्र मामराज उर्फ मुरलीधर हिस्सा 1/144, प्रेमप्रकाश पुत्र मामराज उर्फ मुरलीधर हिस्सा 1/144, कौशलया देवी पत्नी मामराज उर्फ मुरलीधर हिस्सा 1/144, मोना देवी पारीक पत्नी बुद्धिप्रकाश हिस्सा 1/144, मंजु देवी पुत्री मामराज उर्फ मुरलीधर हिस्सा




सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

- 1/144, झूठी देवी पत्नी जगदीश प्रसाद हिस्सा 3/8, सुरजी देवी पत्नी नानगराम हिस्सा 3/8
आ.ख.न. 5279 रकबा 0.08 है0 भूमि रहेगी।
5. शामलाती जमाबन्दी अनुसार आ.ख.न. 5281/3 रकबा 0.0684 कुल किता 1 रकबा 0.0684 है0
भूमि रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रैजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा।
तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादी
/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी
तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 5/10/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।




(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर
शाहपुरा (जिले, जयपुर) जयपुर

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर
वाद संख्या :- 141/2019

शीर्षक

नवल किशोर पुत्र चौथमल जाति पुरोहित नि. ग्राम मनोहरपुर तह. शाहपुरा जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. अमित पुत्र रामप्रकाश जाति पुरोहित नि. मनोहरपुर तह. शाहपुरा जिला जयपुर।
2. कमला पुत्र चौथमल पत्नि श्यामसुन्दर नि. मनोहरपुर तह. शाहपुरा हाल नि. जयलाल मुन्शी का रास्ता, परिवार नियंत्रण होस्पिटल के सामने, पुरानी बस्ती, जयपुर।
3. गोपाल पुत्र बन्नालाल पुरोहित नि. मीणों का मौहल्ला, वार्ड 3 आमेर, जिला जयपुर।
4. गोपी पुत्र सेडूराम जाति पुरोहित नि. मनोहरपुर तह. शाहपुरा जिला जयपुर।
5. झूथी पत्नी जगदीश जाति गुर्जर नि. आमलियो का बास मनोहरपुर तह. शाहपुरा जिला जयपुर।
6. प्रेमप्रकाश पुत्र मामराज उर्फ मुरलीधर जाति पुरोहित नि. मनोहरपुर तह. शाहपुरा जिला जयपुर।
7. प्रेमलता पत्नी रामप्रकाश जाति पुरोहित नि. मनोहरपुर तह. शाहपुरा जिला जयपुर।
8. किरण पत्नी बजरंग जाति पुरोहित नि. मनोहरपुर तह. शाहपुरा हाल नि. गोविन्ददास का रास्ता, बावारियो का बड़, पुरानी बस्ती, जयपुर।
9. अमित पुत्र बजरंग जाति पुरोहित नि. मनोहरपुर तह. शाहपुरा हाल नि. गोविन्ददास का रास्ता, बावारियो का बड़, पुरानी बस्ती, जयपुर।
10. बुद्धि प्रकाश पुत्र मामराज उर्फ मुरलीधर जाति पुरोहित नि. मनोहरपुर तह. शाहपुरा जिला जयपुर।
11. मंजु देवी पुत्री मामराज उर्फ मुरलीधर जाति पुरोहित नि. मनोहरपुर तह. शाहपुरा जिला जयपुर।
12. महेन्द्र पुत्र चौथमल जाति पुरोहित नि. ग्राम मनोहरपुर तह. शाहपुरा जिला जयपुर।
13. मानप्रकाश पुत्र मामराज उर्फ मुरलीधर जाति पुरोहित नि. मनोहरपुर तह. शाहपुरा जिला जयपुर।
14. रक्षा पुत्री रामप्रकाश जाति पुरोहित नि. मनोहरपुर तह. शाहपुरा जिला जयपुर।
15. विनोद पुत्र चौथमल जाति पुरोहित नि. ग्राम मनोहरपुर तह. शाहपुरा जिला जयपुर।
16. सुमित पुत्र रामप्रकाश जाति पुरोहित नि. मनोहरपुर तह. शाहपुरा जिला जयपुर।
17. सुरजी पत्नी नानगराम जाति गुर्जर नि. मनोहरपुर तह. शाहपुरा जिला जयपुर।
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा तहसील-शाहपुरा, जिला जयपुर।
19. पटवारी पटवार हल्का मनोहरपुर तह. शाहपुरा जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 5/10/2021

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया है। कि आ.ख.नं. 5276/0.36, 5277/0.07, 5278/1/0.03, 5279/0.08, 5280/1/0.04 5281/0.60 है0 कुल किता 6 रकबा 1.18 है0 वाके ग्राम मनोहरपुर तह0 शाहपुरा जिला जयपुर के खातेदारान के मध्य बंटवारा कर पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है -

1. नवलकिशोर पुत्र चौथमल का हिस्सा 1/5, विनोद पुत्र चौथमल का हिस्सा 1/5, महेन्द्र पुत्र चौथमल का हिस्सा 1/5, बजरंग पुत्र चौथमल का हिस्सा 1/5, कमला पुत्री चौथमल का हिस्सा 1/5, का हिस्सा आ.ख.न. 5281/ रकबा 0.2779 है0 भूमि रहेगी।
2. गोपीलाल पुत्र सेडूराम जाति पुरोहित सा0 देह खातेदार आ.ख.न. 5281/2 रकबा 0.2537 व 5276/1 रकबा 0.0242 कुल किता 2 रकबा 0.2779 है0 भूमि रहेगी।
3. अमित पुत्र रामप्रकाश हिस्सा 2579/685152, प्रेमलता पत्नी रामप्रकाश हिस्सा 2579/685152, रक्षा पुत्री रामप्रकाश हिस्सा 2579/685152, सुमित पुत्र रामप्रकाश हिस्सा 2579/685152, बुद्धिप्रकाश पुत्र मामराज उर्फ मुरलीधर हिस्सा 33527/171288, मानप्रकाश पुत्र मामराज उर्फ मुरलीधर हिस्सा 2579/171288, प्रेमप्रकाश पुत्र मामराज उर्फ मुरलीधर हिस्सा 2579/171288, कौशल्यादेवी पत्नी मामराज उर्फ मुरलीधर हिस्सा 2579/171288, मोना देवी पारीक पत्नी बुद्धिप्रकाश हिस्सा 2579/9516, मंजु देवी पुत्री मामराज उर्फ मुरलीधर हिस्सा 2579/ 171288, झूथी देवी पत्नी जगदीश प्रसाद हिस्सा 2179/2516, सुरजी देवी पत्नी नानगराम हिस्सा 2179/2516 आ.ख.न. 5276/2 रकबा 0.335, 5277 रकबा 0.07, आ.ख.न. 5278/1 रकबा 0.03, आ.ख.न. 5280/1 रकबा 0.04, कुल किता 4 रकबा 0.475 है0 भूमि रहेगी।



सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

4. अमित पुत्र रामप्रकाश हिस्सा 1/576, प्रेमलता पत्नी रामप्रकाश हिस्सा 1/576, रक्षा पुत्री रामप्रकाश हिस्सा 1/576, सुमित पुत्र रामप्रकाश हिस्सा 1/576, बुद्धिप्रकाश पुत्र मामराज उर्फ मुरलीधर हिस्सा 13/144, मानप्रकाश पुत्र मामराज उर्फ मुरलीधर हिस्सा 1/144, प्रेमप्रकाश पुत्र मामराज उर्फ मुरलीधर हिस्सा 1/144, कौशलया देवी पत्नी मामराज उर्फ मुरलीधर हिस्सा 1/144, मोना देवी पारीक पत्नी बुद्धिप्रकाश हिस्सा 1/144, मंजु देवी पुत्री मामराज उर्फ मुरलीधर हिस्सा 1/144, झूंथी देवी पत्नी जगदीश प्रसाद हिस्सा 3/8, सुरजी देवी पत्नी नानगराम हिस्सा 3/8 आ.ख.न. 5279 रकबा 0.08 है0 भूमि रहेगी।
5. शामलाती जमाबन्दी अनुसार आ.ख.न. 5281/3 रकबा 0.0684 कुल किता 1 रकबा 0.0684 है0 भूमि रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीया /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें।

निर्णय आज तारीख 5/10/21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(मनमोहन मीना)

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	/
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह - व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	